Tirupati Starch & Chemicals Ltd.

Regd. Office : Shree Ram Chambers, Ist floor, 12 Agrawal Nagar, Main Road, INDORE - 1
Phones : 2405001-2-3, 4052850, 4052888, Fax : 91-0731-2405000
E-mail : tirupati@tirupatistarch.com

Works : Village-sejwaya, Ghata Billod, Dist. Dhar (M.P.) Phones : (07292) 277479, 277280

TIRUSTA/SE/2020-21 **Date: 08th October, 2020**

Online filing at www.listing.bseindia.com

To,
The General Manager,
Department of Corporate Services,
Bombay Stock Exchange Limited,
PhirozeJeejeebhoy Towers, Rotunda Building,
Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001,

REF: SECURITY ID: TIRUSTA; SECURITY CODE: 524582 & ISIN: INE314D01011.

Subject: Submission of the copy of the Press Clippings for the 34th Annual General Meeting (AGM), E-Voting and Book Closure Notice.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisements for the 34th Annual General Meeting (AGM), E-Voting and Book Closure Notice published in Free Press (English Newspaper) and Chautha Sansar (Vernacular Language-Hindi Newspaper) published on 8th October, 2020.

You are requested to please take on record our above said information for your reference and records.

Thanking you,
Yours faithfully,

For, TIRUPATI STARCH & CHEMICALS LIMITED

Tirupati Starch & Chemicals Ltd. INDORE

SALONI NAIDU
COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER

Encl.: *Newspaper Clippings*

South Korea to legalise abortions

SEOUL: South Korea has decided to amend the anti-abortion law with the right granted to a woman to terminate the pregnancy in the period within 14 weeks at her request without any reasons, the South Korean Ministry of Justice announced on Wednesday. The abortion ban had been in effect since 1953, included in the country's Criminal Code. It was amended in 1973, permitting abortions in cases of rape, incest, health risks for the mother, or hereditary or communicable diseases of the parents. In April 2019, the South Korean Constitutional Court ordered the anti-abortion law to be revised by the end of 2020, as it was unconstitutional. According to the statement released by the ministry, apart from voluntary abortions within the 14-week term, the termination of pregnancy will also be possible at 24-week term in case of medical conditions Starting Wednesday, the authorities are set to review and adopt the bill. The public will have some 40 days to submit their opinion on the amendments before the bill is sent to the National Assembly for approval.

TIRUPATI STARCH & CHEMICALS LTD.

CIN: L15321MP1985PLC003181

Registered Office : "First Floor", Shreeram Chambers,
12, Agrawal Nagar Main Road, Indore-452001 (M.P.) Ph. 0731-2405001-02
e-mail: tirupati@tirupatistarch.com, website: www.tirupatistarch.com

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **34th Annual General Meeting** of the Members of Tirupati Starch & Chemicals Limited will be held on **Thursday, the 5th day of November, 2020** at 01:00 PM at the Registered Office of the Company at First Floor, "Shreeram Chambers", 12, Agrawal Nagar, Indore-452001 (M.P.), physically as well as through Video Conferencing or Other Audio Video Means (OAVM) for which purposes Registered Office shall be deemed as the venue for the Meeting and the proceedings of the Annual General Meeting shall be deemed to be made there at, to transact the businesses as set out in the notice provided to the members of the Company.

Dispatch of Annual Report through Electronic mode: In compliance with MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, Notice of AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that the Notice and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website www.tirupatistarch.com, website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Necessary notice will be sent to all the members of the Company in due course.

Also, informed that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from **Friday, 30th day of October, 2020 to Thursday, 5th day of November, 2020 (both days inclusive)**, for the purpose of convening Annual General Meeting of the Company.

The shareholders can also exercise their voting rights through e-voting. The voting period **begins on from 09:00 AM IST on Monday, 2nd November, 2020 to 05:00 PM IST on Wednesday, 4th November, 2020**. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of **29th October, 2020**, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of this Notice and holds shares as on the cut-off date (record date) i.e. **Friday, 2nd October, 2020** should follow the instructions for e-voting as mentioned in the notice for FIRST TIME USER. For the members who have not updated their PAN with depository, the login id and sequence no. for generation of password will be provided by hard copy or electronic copy. If, any person is already registered for e-voting with CDSL, the person can use existing user id and password for e-voting.

Members may kindly note that voting rights of the members shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of shareholders in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date (record date) of **29th October, 2020**.

Manner of casting vote on resolutions during AGM (VC/OAVM): The facility of e-voting will be available during AGM. Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may remain present at AGM through VC/OAVM but shall not be entitles to cast their e-vote again during the AGM.

Electronic voting system & VC/OAVM Provider: Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) https://www.evotingindia.com.

The facility to exercise the right of voting through ballot paper shall be made available at the meeting for the members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting.

The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Members can also see the notice on the website of the company **www.tirupatistarch.com** and also at CDSL's website **www.evotingindia.com**.

For any further queries members can contact to the Company/ Registrar.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may contact the person mentioned below:

Name : **Saloni Naidu**
Designation : Company Secretary
Address : "First Floor", Shreeram Chambers, 12, Agrawal Nagar, Indore-452001 (M.P.)
E-mail id : tirupati@tirupatistarch.com
Phone No. : +91 7312405001, 02, 03

By order of the Board
Tirupati Starch & Chemicals Limited
Sd/-
Amit Modi, Managing Director

Date: **07.10.2020**
Place: **Indore**

E:MAIL ID - cscd.bhopal@mp.gov.i

क्रमांक/शिक्षा-2/छात्रावास//2020-21/2702

विज्ञप्ति

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के उत्कृष्ट खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन योजना ' प्रारंभ की गयी है। योजनांतर्गत मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित से 31.12.2019 तक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है, को राज्य स्तर पर पुरूस्कृत किया तक राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, ऐसे खिलाड़ियों को खेल उपकरण के लिये आर्थि

01. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाडियों

उक्त योजनांतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जावेगा तथा प्रोत्साहन हेतु निम्नानुसार राशि पुरस्कार के रू

क्र.	राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता का स्तर	पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली रा
	व्यक्तिगत स्पर्धाओं में	
1.	स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले को	रूपये 21,000/-
2.	रजत पदक प्राप्त करने वाले को	रूपये 15,000/-
3.	कांस्य पदक प्राप्त करने वाले को	रूपये 11,000/-
4.	केवल भाग लेने वाले को	रूपये 4,000/-
	सामूहिक स्पर्धाओं में	
1.	स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले को	रूपये 10,000/-
2.	रजत पदक प्राप्त करने वाले को	रूपये 7,000/-
3.	कांस्य पदक प्राप्त करने वाले को	रूपये 5,000/-

01. अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे खिलाडी जिन्होंने दिनांक 1.1.2019 से 31.12.2019 तक भाग लेकर प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हो के आवेदन ही मान्य किये जाएंगे। उल्लेखित अवधि के बाद या पहले मूल निवासी जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर व्यक्तिगत/सामूहिक स्पर्धाओं में भाग लिया हो, पदक प्राप्त के प्रमाण पत्रों सहित व्यक्तिगत या पंजीकृत पत्र के माध्यम से अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र-एक में तिथि जाति विकास राजीव गाँधी भवन 35 श्यामला हिल्स भोपाल में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्च योजना की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है।

02. आयु सीमा :- (01) जूनियर संवर्ग :- 17 वर्ष से कम आयु के कनिष्ट बालक/बालिका (02) सीनियर संवर्ग :- 17 से 20 वर्ष तक के बालक / बालिकायें

02. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाडियों को खेल उपकरण हेतु आर्थि

उक्त योजनांतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को निम्न प्रावधान एवं मापदण्ड सहायता उपलब्ध करायी जावेगी।

क्र.	राज्य / राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता का स्तर	खेल उपकरण हेतु दी
1.	राष्ट्र स्तरीय व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के खिलाड़ियों हेतु	रूपये 12,000/-
2.	राष्ट्र स्तरीय सामूहिक प्रतिस्पर्धा के खिलाड़ियों हेतु	रूपये 8,000/-
3.	राज्य / राष्ट्र व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के खिलाड़ियों हेतु	रूपये 7,000/-
4.	राज्य स्तरीय सामूहिक प्रतिस्पर्धा के खिलाड़ियों हेतु	रूपये 5,000/-

अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे खिलाडी जिन्होंने दिनांक 1.1.2019 से 31.12.2019 तक राज्य/राष्ट्र लेकर प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हो के आवेदन ही मान्य किये जाएंगे। उल्लेखित अवधि के बाद या पहले के निवासी जिन खिलाड़ियों ने राज्य/राष्ट्रीय स्तर व्यक्तिगत/सामूहिक स्पर्धाओं में भाग लिया हो, पदक प्राप्त के प्रमाण पत्रों सहित व्यक्तिगत या पंजीकृत पत्र के माध्यम से अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र-दो में तिथि जाति विकास राजीव गाँधी भवन 35 श्यामला हिल्स भोपाल में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्च योजना की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है।

01. आयु सीमा :- (01) जूनियर संवर्ग :- 17 वर्ष से कम आयु के कनिष्ट बालक/बालिका (02) सीनियर संवर्ग :- 17 से 20 वर्ष तक के बालक / बालिकायें

02. अन्य

(1) इस योजना का लाभ लेने हेतु मध्यप्रदेश का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति का होना (सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है)

(2) योजना का लाभ प्रथम आवें प्रथम पावें के आधार पर देय होगा ।

(3) अधिक आवेदन प्राप्त होने पर कम आय व कम आयु वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी

(4) योजनांतर्गत प्रति वर्ष 50 राष्ट्रीय एवं 50 राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को सहायता उपलब्ध

आवेदन क्रमांक-एक

प्रति,

आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास,
राजीव गाँधी भवन, 35 श्यामला हिल्स,
भोपाल

विषय :- राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाड़ियों

1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	जन्म तिथि (सत्यापन हेतु कक्षा 10वीं की अंकसूची)	
4.	वर्तमान निवास का पता	
5.	मूल निवास का पता (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
6.	जाति (सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र)	

साइल के-5 को अरिहंत श्रेणी की
ात किया जाएगा। वैसे तो मिसाइल
लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन
गले 15 महीनों में के-5 एसएलबीएम

फ सदेश

कि एक तरफ चीन के साथ सैन्य से
के दरवाजे खोले रखने और दूसरी
और डिप्लॉयमेंट में तेजी से भारत
न की आक्रामकता का जोरदार जवाब
क नहीं होगी।

शेवरों को झटका!

कोरोना वायरस महामारी के चलते गई नौकरियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। ट्रम्प के इस नए आदेश के बाद भारतीय ,आईटी कंपनियों को झटका लग सकता है हालांकि यह नियम अमेरिकी कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी होगी। बता दें कि अमेरिका हर साल 85000 एच-1बी वीजा जारी करता है। इसके जरिएं अमेरिका नौकरी के लिए विदेशी स्किल्ड वर्कर्स जाते हैं। आंकडे के मुताबिक, अमेरिका जितना एच-1बी वीजा जारी करता है उसका 70 फीसदी भारतीय प्रोफेशनल्स को जारी किया जाता है। भारत के बाद चीन का नंबर आता है।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण सूचित किया जाता है की मैंने अपना उपनाम विवाह उपरांत कुछ दस्तावेजो में सुष्मिता शर्मा कर लिया था जिसे निजी कारणो से अब परिवर्तित कर मूल उपनाम सुष्मिता नामदेव कर लिया है । भविष्य में मुझे इसी नाम व उपनाम से जाना व पहचाना जावे ।

सुष्मिता नामदेव, वार्ड न.१०, गायत्री मंदिर के पास, शहडोल (म.प्र.)

न्यायालय तहसीलदार तहसील मिचौलीहप्सी, जिला इन्दौर

प्रशासनिक संकुल कक्ष क्रमांक जी-9

क्रमांक/1647/रीडर/2020
इन्दौर, दिनांक : 28.09.2020

उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक **मेसर्स दयाल कंस्ट्रक्शन कंपनी तर्फे पार्टनर निखिलेश पिता स्व. श्री सुगनचंदजी अग्रवाल निवासी-309, डी.एम. टॉवर, न्यूपलासिया, इन्दौर (म.प्र.)** द्वारा म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम-मिचौली मर्दाना स्थित व्यपवर्तित भूमि सर्वे नंबर 101/364/2/1, 101/364/2 पैकि रकबा 0.054 हैक्टेयर भूमि पर राजस्व रिकार्ड में नामांतरण किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया।

अतः इस नामांतरण किये जाने के संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो वह दिनांक 12.10.2020 तक अपनी आपत्ति स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 28.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी।

तहसीलदार
तहसील मिचौलीहप्सी, इन्दौर

बहुप्रयोग सहकारी संस्था मर्यादित दुधाना शाजापुर जिला शाजापुर

पंजीयन क्रमांक 1298 — दिनांक 30.6.2018
क्रमांक/र.अ./2020/क्यू.1 — दिनांक 6.10.2020

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सोसायटी के संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन विशेष साधारण सम्मेलन सम्पन्न होना है। सोसायटी की सदस्यता सूची का प्रकाशन सोसायटी के नोटिस बोर्ड उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला शाजापुर के सूचना पटल पर दिनांक 6.10.2020 को किया गया यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 6.10.2020 से 14.10.2020 तक कार्यालयीन समय में सोसायटी के कार्यालय में प्रबंधक को प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण सोसायटी के कार्यालय में मेरे द्वारा दिनांक 15.10.2020 को समय प्रातः 11.00 बजे से किया जावेगा। आपत्तियों के निराकरण के लिए सदस्य उपस्थित हो सकते है। आपत्ति के संबंध में पृथक से व्यक्तिशः सूचना नहीं दी जावेगी। यदि किसी सदस्य की कोई दावा या आपत्ति है एवं यदि वह उपस्थित नहीं होता है तो भी उपलब्ध अभिलेखों/दस्तावेजों/प्रमाण के आधार पर आपत्तियों का निराकरण किया जावेगा।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोग सहकारी संस्था
मर्यादित दुधाना शाजापुर जिला शाजापुर

तिरुपति स्टार्च एवं केमिकल्स लिमिटेड

CIN: L15321MP1985PLC003181
पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, श्रीराम चैंबर, 12, अग्रवाल नगर, इंदौर (म.प्र.)
फोन : 0731-2405001, 02 ई-मेल : tirupati@tirupatistarch.com
वेब पोर्टल : www.tirupatistarch.com

34वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग व बुक क्लोजर की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि तिरुपति स्टार्च एवं केमिकल्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की **34वीं वार्षिक साधारण सभा** ('ए.जी.एम.') **गुरुवार, 5 नवंबर, 2020** को दोपहर 1.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, श्रीराम चैंबर, 12, अग्रवाल नगर, इंदौर (म.प्र.) में आयोजित की जाएगी, फिजिकली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो वीडियो मीन्स के द्वारा, जिसमें सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भेजी गयी सूचना में वर्णित व्यवसाय को निष्पादित किया जायेगा। 31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की अंकेक्षित लेखाओं सहित वार्षिक रिपोर्ट ऐसे शेयरधारकों को ईमेल आईडी पर भेजी जायेगी, जिनके ईमेल आईडी कंपनी में पंजीकृत हैं तथा साथ ही उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.tirupatistarch.com पर भी प्रकाशित है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 34वीं वार्षिक साधारण आम सभा के नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करने का कार्य उचित समय पर पूर्ण किया जायेगा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और उसके तहत लागू नियमों के अनुसार और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के रेग्युलेशन 42 के अनुसार, एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें **शुक्रवार, 30 अक्टूबर, 2020 से गुरुवार, 5 नवंबर, 2020 (दोनों दिवस शामिल)** तक, 34वीं वार्षिक साधारण सभा करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कंपनी के सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और उसके तहत लागू कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के यथा संशोधित नियम 20 तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के रेग्युलेशन 44 के अनुसार इस कंपनी ने सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना मतदान करने के लिए सदस्यों को सुविधा उपलब्ध कराई है।

टिप्पणी:

क) व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान किया जा सकेगा ;
ख) दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ करने की तारीख और समय : सोमवार, 2 नवंबर, 2020, प्रातः 9 बजे से ;
ग) दूरस्थ ई-मतदान समाप्त करने की तारीख और समय : बुधवार, 4 नवंबर, 2020 सायं 5 बजे तक ;
घ) निर्णायक तारीख : गुरुवार, 29 अक्टूबर, 2020
ङ) यदि कोई सदस्य ए.जी.एम. सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी की सदस्यता अर्जित करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते हैं तथा निर्णायक तिथि अर्थात् शुक्रवार, 2 अक्टूबर, 2020 को शेयर धारित करते हैं; यदि उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास उसका पैन अपडेट है, तो उन्हें ए.जी.एम. की सूचना में दी गयी लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। लेकिन, ऐसे सदस्यों जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना पैन अपडेट नहीं किया हो, उनका लॉगिन आईडी तथा सिक्वेंस नं. पासवर्ड निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा भौतिक पद्धति से अलग से भेजा जायेगा। यदि ऐसे व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सी.डी.एस.एल. के पास पहले से पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
च) सदस्य कृपया ध्यान रखें।
1) बुधवार, 4 नवंबर, 2020 सायं 5 बजे के बाद ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2) मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा ए.जी.एम. में उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया हो, वे मतदान पत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
3) कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लेने के बावजूद भी इस साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन सभा में उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4) सदस्य कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के मतदान के अधिकार रिकॉर्ड तारीख गुरुवार, 29 अक्टूबर, 2020 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अथवा डिपॉजिटरीज के लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में पंजीकृत शेयरों की पेड-अप मूल्य पर माने जायेंगे।
5) जिन सदस्यों का नाम निर्णायक तिथि को डिपॉजिटरीस द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ साधारण वार्षिक सभा में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे।
6) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइडर : सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड https://www.evotingindia.com.
7) कंपनी तथा एजेंसी की वेबसाइट का पता जहां सभा की सूचना प्रदर्शित है: **www.tirupatistarch.com** तथा **www.evotingindia.com**.
8) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से सम्बंधित शिकायतों के निराकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पद का नाम, पता, ईमेल आईडी तथा फोन नंबर:
सलोनी नायडू (कंपनी सचिव)
प्रथम तल, 'श्रीराम चैंबर', 12, अग्रवाल नगर, इंदौर-452001 (म.प्र.)
फोन नं : 0731-2405001, 02
ई-मेल : tirupati@tirupatistarch.com,

बोर्ड के आदेश से
तिरुपति स्टार्च एवं केमिकल्स लिमिटेड
अमित मोदी
प्रबंध निदेशक

दिनांक : 07.10.2020
स्थान : इंदौर

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर (म.प्र.)

क्र./3954/INDLP-7072/20/नग्रानि/2020 इन्दौर दिनांक 07/10/2020

विज्ञप्ति

म.प्र. नगर तथा निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास निगम, 2012 के नियम 14(3) प्रारूप (ढ) के अधीन दी गई अनुज्ञा में उपांतरण की दशा में आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि, श्रीमती नीना देवी पति श्री विनोद कुमार अग्रवाल, पता- अग्रवाल हाउस 05, यशवंत निवास रोड, इंदौर (म.प्र.) द्वारा नीचे दिए गए अभिन्यास में उपरांतरण हेतु आवेदन दिया गया है।

(क) परियोजना का नाम- आवासीय भुखण्डीय विकास उपयोग।

(ख) अवस्थिति (अवस्थिति/ग्राम का नाम एवं खसरा क्रमांक): ग्राम देवगुराड़िया, तहसील व जिला इंदौर की भूमि सर्वे क्रमांक 115/1, 115/2 कुल रकबा 3.812 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भुखण्डीय विकास उपयोग हेतु जारी स्वीकृत अभिन्यास में रो-हाउस के लिए आरक्षित भूखण्डों को सामान्य भूखण्डों में परिवर्तित करने एवं नियोजन में परिवर्तन होने के कारण म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) में संशोधन बाबाद आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(ग) विकास का प्रयोजन- आवासीय भुखण्डीय विकास उपयोग।

(घ) स्वीकृति क्र. एवं दिनांक: कार्यालयीन ऑनलाइन प्रकरण क्रमांक 4642 एवं दिनांक 17/09/2018

पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में यदि उपांतरण किया जाता है तो उसे परियोजना से जुड़े व्यक्तियों के हित प्रभावित होने की संभावना है।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति उपांतरणों से संबंधित अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अभिन्यास के ब्यौरे तथा प्रस्तावित उपांतरण अभिन्यास का निरीक्षण, हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान किया जाता है।

संयुक्त संचालक,
वास्ते संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, इंदौर
इंदौर, दिनांक 07/10/2020